केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/248 दिनांक: 14.09.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00216
CICOM/R/2018/00798

अपीलकर्ता : श्री रवि प्रकाश शुक्ला,
पुराना पोस्ट ऑफिस के पास,
वार्ड नं. 11, बिजुरी, जिला – अनुपपुर,
मध्य प्रदेश – 484440.

निर्णय की तारीख : 14.09.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.07.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.08.2018, 24.08.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.09.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	437/13.09.2018 (2685/12.09.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.07.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 05.12.2017 को आयोग को प्रेषित दो पत्रों (डायरी सं. 182467 एवं 182193) से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें आधी-अधूरी जानकारी प्रदान की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/00798/CR-II दिनांक 14.08.2018 के माध्यम से आंशिक सूचना प्रदान करते हुए उसी पत्र पूर्ण सूचना प्रदान करने हेतु अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित किया गया । श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा भी पत्र सं. CICOM/R/2018/00798 दिनांक 24.08.2018 के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम अपील दाखिल करने से पूर्व श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलवध करववाई गई सूचना अपीलकर्ता को प्राप्त नहीं हो सकी है, अतः अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है । चूंकि श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार सूचना उपलब्ध करवा दी गई है, अतः इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
17 SEP 2018
D. No.........
Initials........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, के.सू.आ., नई दिल्ली ।